न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 70/2023
अनवान : –

1. हंसराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. सुखदेव पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक फेफाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 28/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 89/84 की कुल 0.2530 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान बिना खाता विभाजन करवाये उक्त भूमि टयूबैल लगाना चाहते है जबकि गैरसायल द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि में पांच टयूबैल लगा रखे है एवं पानी बेचता है तथा टयूबैल लगाकर काबिज भूमि को भू माफिया किस्म के लोगो को बेचान करना चाहता है अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 89/84 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान [illegible] प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 89/84 की कुल 0.2530

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 द्वारा उक्त वाद भूमि में पहले से पांच टयूबैल लगा रखे है तथा और टयूबैल लगाना चाहता है लेकिन अप्रार्थी स0 1 अपने कथनों के समर्थन मे कोई दसतावेज पेश नकी किया गया है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी लेकिन विशेष हिस्से का बेचना करने से प्रार्थी को भी अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः विशेष हिस्से के बेचान न करने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 89/84 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested